संचालनालय आयुष, म.प्र.

(आधार तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

E-mail:yojna ayush.mp@mp.gov.in		Office (0755)2763044
www.ayush.mp.gov.in		Fax (0755)2760225

पंजी क्रमांक/ 5-5 /8/योजना/2019/863-922 भोपाल, दिनांक 31/05/2019

प्रति,

1. संभागीय आयुष अधिकारी
   संभाग–.......................म0प्र0 (समस्त)

2. जिला आयुष अधिकारी
   जिला–.......................म0प्र0 (समस्त)

विषयः– अशासकीय संगठ्न (N.G.O.) को जिले में शिविर लगाने की अनुमति प्रदान न किये जाने बाबत।

--::--

विषयांतर्गत प्रकरण में लेख है कि प्रायः देखा गया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत अशासकीय संगठन (N.G.O.) आयुर्वेद पैथी में निःशुल्क/सशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने हेतु अधीनस्थ संभागीय/जिला आयुष कार्यालयों में अनुमति हेतु आवेदन प्रेषित करते हैं।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि संभागीय/जिला आयुष अधिकारी इन अशासकीय संगठनों को जिले में निःशुल्क/सशुल्क शिविर लगाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय की सहमति के बिना ही अनुमति प्रदान की जाती है। इन अशासकीय संगठन के पास न तो कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर,पंजीकृत चिकित्सक, पैरामेडिकल एवं औषधियों की व्यवस्था रहती है।

अशासकीय संगठन के द्वारा शुरू में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लागये जाते हैं तत्पश्चात इन अशासकीय संगठ्न द्वारा उन शिविरों के निकटतम ग्रामों की जन संख्या से एक निर्धारित शुल्क लिया जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा औषधियों के नाम पर पैसे वसूल किये जाते हैं।

संभागीय आयुष अधिकारी/जिला आयुष अधिकारी द्वारा शिविर लगाने की प्रदान की गई अनुमति के आधार पर इन अशासकीय संगठ्न द्वारा शिविरों में हुये व्यय की राशि का एकजाई पत्रक तैयार कर लाखों एवं करोड़ों के देयक शासन के समक्ष प्रस्तुत कर व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की जाती है।

शासन द्वारा ऐसे प्रकरण खारिज किये जाने की स्थिति में कतिपय अशासकीय संगठन द्वारा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है इन न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का लाखों रूपये का अपव्यय होता है तथा विभाग की छवि भी धुमिल होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संभागीय तथा जिले में कार्यरत किसी भी अशासकीय संगठन को संभागीय आयुष अधिकारी/जिला आयुष अधिकारी द्वारा निःशुल्क/सशुल्क शिविर लगाने की अनुमति प्रदान न की जावे। यदि पूर्व में अनुमतियाँ प्रदान की गई हो तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जावे।

(संजीव कुमार झा)
आयुक्त
संचालनालय आयुष म.प्र.

पंजी क्रमांक/ /8/योजना/2019/ भोपाल, दिनांक /05/2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय भोपाल।

आयुक्त
संचालनालय आयुष म.प्र.